राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	304/2018 कन्हैयालाल बनाम रमसी हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
31/10/25	पत्रावली प्रस्तुत हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। अधिवक्ता उभयपक्ष ने अपनी-अपनी लिखित बहस के आधार पर अपील का निस्तारण किये जाने का निवेदन किया। अत: पत्रावली निर्णय हेतु रिजर्व की जाती है। पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु दिनांक 04/11/2025 को पेश हो।	
04/11/25	आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। संक्षेप में तथ्य प्रकरण इस प्रकार है कि अपीलार्थीगण ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद बाबत घोषणा, दुरुस्ती, बटवारा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का पेश किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दोनो पक्षों की बहस समायत करते करते हुये निर्णय व डिक्री दिनांक 11/04/2018 पारित करते हुये प्रतिवादीगण की और प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सीपीसी स्वीकार कर वादीगण का वाद घोषणा एवं इन्द्राज दुरुस्ती की हद तक खारिज फरमा दिया गया एवं विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा के सन्दर्भ में प्रतिवादीगण की और से कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं किये जाने पर प्राथमिक डिक्री जारी की गयी। जिससे व्यथित होकर अपीलार्थीगण द्वारा इस न्यायालय के समक्ष यह अपील प्रस्तुत की गयी है। जिस पर अधिवक्ता उभयपक्ष ने अपनी-अपनी लिखित बहस के आधार पर अपील का निस्तारण किये जाने का निवेदन किया। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर गौर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। उद्धरित तथ्यों के परिपेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किये जाने से यह स्पष्ट होता है कि विचाराधीन वाद घोषणा एवं दुरुस्ती का है एवं विधि के प्रावधानों के अनुसरण में घोषणा एवं दुरुस्ती के वाद को साक्ष्य-सबूत प्राप्त कर, तनकीयात क़ायम कर तनकीवार विस्तृत विवेचन करते हुये निस्तारित किया जाना आवश्यक होता है किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा ऐसा नही कर सरसरी तौर पर ही प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 जाप्ता दीवानी स्वीकार कर प्रश्नाधीन वाद को ख़ारिज कर दिया गया है, जो न्यायोचित एवं विधिसम्मत प्रतीत नही होता है। अत: अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 11/04/2018 निरस्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे साक्ष्य-सबूत प्राप्त कर, तनकीयात कायम करते हुये बाद सुनवाई पक्षकारान तनकीवार विस्तृत विवेचन कर वाद का विधिसम्मत निस्तारण करे। तदनुसार अपील स्वीकार की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 04/11/2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर	